संख्या-574/2017/1135/22-2-2017-17(144)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप कुमार पुत्र श्री छोटे सिंह उर्फ जनार्दन सिंह निवासी जनपद-मैनपुरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप कुमार पुत्र श्री छोटे सिंह उर्फ जनार्दन सिंह, निवासी-ग्राम-खरपरी, थाना-कोतवाली, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 21.06.1980 को सायं लगभग 07:00 बजे बन्दूक से गोली मारकर धीरेन्द्र पाल सिंह चौहान की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-465/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 04.05.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2017 तक 20 वर्ष 01 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 06 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में गठित समित द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल से लगातार 3-4 फायर कर धीरेन्द्र पाल सिंह चौहान की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिद्धदोष बन्दी प्रदीप कुमार पुत्र श्री छोटे सिंह उर्फ जनार्दन सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-1483/2015 प्रदीप कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्रदीप कुमार (बन्दी संख्या-17622) पुत्र श्री छोटे सिंह उर्फ जनार्दन सिंह जनपद-मैनपुरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-574/2017/1135(1)/22-2-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।